



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062025-263754
CG-DL-E-12062025-263754

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2496]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947

No. 2496]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 11 जून, 2025

मॉल्लिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीइथिलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025

का.आ. 2560(अ).—केंद्रीय सरकार की, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, मॉल्लिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीइथिलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2022 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्:

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम मॉल्लिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीइथिलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. मॉल्लिंग और एक्सट्रूजन के लिए पॉलीइथिलीन सामग्री (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 के पैरा 1 के, उप-पैरा (3) के परंतुक में :

(i) मद (ग) और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा :

(ii) मद (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित मद अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

“(ज) डिस्पोजल हाइपोडर्मिक सिरिंज प्लंजर और IV कैथेटर/केनुला के विनिर्माण हेतु फार्मास्यूटिकल मोल्टिंग ईपी/यूएसपी ग्रेड सीएस संख्या 25087-34-7 के लिए उच्च घनत्व की पॉलीइथिलीन”

[फा. सं. पीसी-II-46016/6/2020--टेक.सीपीसी (भाग 3)]

दीपक मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1647 (अ), तारीख 5 अप्रैल, 2022 द्वारा प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4601 (अ), तारीख 29 सितंबर, 2022, का.आ. 1557 (अ), तारीख 31 मार्च, 2023, का.आ. 4235 (अ), तारीख 26 सितंबर, 2023 और का.आ. 68(अ), तारीख 4 जनवरी, 2024 द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 11th June, 2025

POLYETHYLENE MATERIAL FOR MOULDING AND EXTRUSION (QUALITY CONTROL) ORDER, 2025

S.O. 2560(E).— In exercise of the powers conferred by section 16 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, being of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following order further to amend the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022, namely: -

1. (1) This Order may be called the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Polyethylene Material for Moulding and Extrusion (Quality Control) Order, 2022, in paragraph 1, in sub-paragraph (3), in the proviso; -

(i) Item (c) and the entries relating thereto shall be Omitted;

(ii) after item (g), the following item shall be inserted, namely_

“(h) High density polyethylene for pharmaceutical moulding EP /USP grade CAS No. 25087-34-7 for manufacturing of Disposable Hypodermic Syringes plunger and IV Catheter/cannula”.

[F. No. PC-II-46016/6/2020-Tech.CPC (Part 3)]

DEEPAK MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), vide notification number S.O. 1647(E), dated the 5th April, 2022 and subsequently amended vide notification numbers S.O. 4601(E), dated the 29th September, 2022, S.O. 1557(E), dated the 31st March, 2023, S.O. 4235(E), dated the 26th September, 2023 and S.O.68(E), the dated the 4th January, 2024.